



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 18 अगस्त, 1975

श्रावण 27, 1897 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 3121, सत्रह-वि०-1-37-1975

लखनऊ, 18 अगस्त, 1975

अधि सूचना

विधि

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित संयुक्त प्रान्त बंदीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) विधेयक, 1975 पर दिनांक 14 अगस्त, 1975 ई० की प्रस्ताव प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ, इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

संयुक्त प्रान्त बंदीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) अधिनियम, 1975
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27, 1975)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा पारित हुआ]

संयुक्त प्रान्त बंदीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) अधिनियम, 1945 का निरसन करने तथा पारिणामिक उपबन्ध बनाने के लिए

अधि नियम

भारत गणराज्य के छठवीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त बंदीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम 1975 कहलायेगा।

2--(1) संयुक्त प्रान्त बंदीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) अधिनियम, 1945, जिसे आगे संयुक्त प्रान्त अधि-
नियम संख्या 5,
1945 का निरसन
तथा पारिणामिक
उपबन्ध
कहा गया है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से--

(क) उत्तर प्रदेश श्री बंदीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939 के अधीन संघटित श्री बंदीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर समिति (जिसे आगे उक्त समिति कहा गया है) की उक्त अधिनियम के अधीन समस्त शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य नोटिफाइड

एरिया कमेटी बद्रीनाथपुरी (जिसे आगे नोटीफाइड एरिया कमेटी कहा गया है) में अन्तरित हो जायेंगे और उनका प्रयोग, निर्वहन तथा पालन उसके द्वारा किया जायगा;

(ख) उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अथवा उसके अनुसरण में, उक्त समिति द्वारा अर्जित, प्रोद्भूत अथवा उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता अथवा दायित्व नोटीफाइड एरिया कमेटी को अन्तरित हो जायगा और अन्तरित हुआ समझा जायगा।

No. 3121 (2) /XVII-V-1-37-1975

Dated Lucknow, August 18, 1975

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Sanyukta Pranta Badrinath (Swachhata tatha Sudhar) (Nirsan) Adhiniyama, 1975 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 27 of 1975) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 14, 1975 :

THE UNITED PROVINCES BADRINATH (SANITATION AND IMPROVEMENT) (REPEAL) ACT, 1975

(U. P. ACT NO. 27 OF 1975)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to repeal the United Provinces Badrinath (Sanitation and Improvement) Act, 1945 and to make consequential provisions.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the United Provinces Badrinath (Sanitation and Improvement) (Repeal) Act, 1975.

Repeal of U. P. Act no. V of 1945 and consequential provisions.

2. (1) The United Provinces Badrinath (Sanitation and Improvement) Act, 1945, hereinafter referred to as the said Act, is hereby repealed.

(2) With effect from the date of commencement of this Act—

(a) all powers, functions and duties under the said Act of Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples Committee constituted under the Uttar Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples Act, 1939 (hereinafter called the said Committee) shall stand transferred to and be exercised, performed and discharged by the Notified Area Committee Badrinath Puri (hereinafter called the Notified Area Committee);

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred by the said Committee under or in pursuance of the provisions of the said Act shall be and be deemed to be transferred to the Notified Area Committee.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव।